

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, हसनपुर, अमरोहा।

मूलवाद सं० 635/2021

राजेश सिंह

बनाम

महेन्द्र।

दिनांक: 23.07.2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष अनुपस्थित है और न ही उभयपक्ष की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उभयपक्ष अपने वाद को चलाने के इच्छुक नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मूलवाद सं० 635/2021 उभयपक्षों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त मूलवाद सं० 635/2021 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(अमरेन्द्र कुमार वर्मा)

सिविल जज (जू०डि०)

हसनपुर, अमरोहा।

जे.ओ. कोड सं० यू.पी. 3517

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, हसनपुर, अमरोहा।

मूलवाद सं० 35/2023

शंकर बनाम दीपक आदि।

दिनांक: 10.07.2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष अनुपस्थित है।
पत्रावली पुनः लंच बाद दोबारा पेश हो।

पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हुयी। पुकार करायी गयी। बार-बार पुकार कराये जाने पर भी उभयपक्ष समय 03:30 बजे तक भी उपस्थित नहीं हुए और उभयपक्ष की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उभयपक्ष अपने वाद को चलाने के इच्छुक नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मूलवाद सं० 35/2023 उभयपक्षों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त मूलवाद सं० 35/2023 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(अमरेन्द्र कुमार वर्मा)
सिविल जज (जू०डि०)
हसनपुर, अमरोहा।
जे.ओ. कोड सं० यू.पी. 3517

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, हसनपुर, अमरोहा।

मूलवाद सं० 304/2019

अब्दुल माबूद बनाम साजिद।

दिनांक: 10.07.2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष अनुपस्थित है।
पत्रावली पुनः लंच बाद दोबारा पेश हो।

पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हुयी। पुकार करायी गयी। बार-बार पुकार कराये जाने पर भी उभयपक्ष समय 03:30 बजे तक भी उपस्थित नहीं हुए और उभयपक्ष की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उभयपक्ष अपने वाद को चलाने के इच्छुक नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मूलवाद सं० 304/2019 उभयपक्षों की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त मूलवाद सं० 304/2019 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(अमरेन्द्र कुमार वर्मा)
सिविल जज (जू०डि०)
हसनपुर, अमरोहा।
जे.ओ. कोड सं० यू.पी. 3517